



## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

### **\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक जून 27, 2022\***

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 322 वाहनों का चालान किया गया तथा 13 वाहन से ₹0 9000/- का समन शुल्क वसूल किया गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 27 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया।

**\*पैदल गश्त अभियान-\*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

**\*आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही\***

**\*थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*-** अभियुक्त मोनू पुत्र नथुनी नि0 वार्ड नं0 4 थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 17 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 168/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना श्यामदेउरवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्ता इन्द्रावती पत्नी रामकिशुन नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 158/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्ता पूनम देवी पत्नी ओमप्रकाश नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 159/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त रामू साहनी पुत्र बाबूलाल नि0 चैनपुर थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 128/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त राजमंगल पुत्र चन्नर नि0 कामता थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 129/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त सलीम अंसारी पुत्र रमजान नि0 बेलवा थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्ता भानमति पत्नी अभिराम नि० भारी बैसी नर्सरी थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 129/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

**\*थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्ता नर्वदा पत्नी अधारे नि० सोहगौरा थाना चौक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 96/22 धारा 6(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

**\*थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र राजाश्रय शर्मा नि० मिर्जापुर पकड़ी थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 251/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त मोतीचन्द मद्धेशिया पुत्र स्व० श्रीकान्त मद्धेशिया नि० खेमपिपरा थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 253/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

**\*थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्ता कुसलावती पत्नी मनोज नि० खुरमपुर नर्सरी थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 142/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

**\*गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त टून्नु शर्मा पुत्र रामनिवास नि० मोहनापुर थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

**\*कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त साहुल कुमार पुत्र अभिमन्यू नि० हनुमानगढ़िया थाना सोनौली जनपद महाराजगंज व अभियुक्त पप्पू पुत्र स्वामीनाथ नि० जगरनाथपुर थाना सोनौली के कब्जे से 28 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० निल/22 धारा 113 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

**\*आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त अभयशंकर सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र स्व० रामप्रीत सिंह नि० रामनगर थाना ठूठीबारी व अभियुक्त मनोज कुमार यादव पुत्र महातम नि० सोनबरसा थाना सिन्दुरिया के विरुद्ध थाना ठूठीबारी पर मु०अ०सं० 86/22 धारा 27/30 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया ।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 08 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

**\*जनपद में 26/27.06.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 40 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।\***